दिनांक 25.03.2023
प्रेस विज्ञप्ति 27/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद शामली/थाना कोतवाली शामली

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के माल ब्रिकी के 18 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 25.03.2023 को थाना कोतवाली शामली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बलवा चौराहे पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिसमें एक आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–मयूनूदीन 2–इरसाद उर्फ सईद घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के माल ब्रिकी के 18 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 15.03.2023 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्र से अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर अभियोग धारा 392 भादवि पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मयूनूदीन निवासी ग्राम जोहडी थाना बिनौली जनपद बागपत।

2—इरसाद उर्फ सईद निवासी ग्राम रटौल थाना खैकडा जनपद बागपत।

बरामदगी

1—लूट के माल ब्रिकी के 18 हजार रूपये नगद।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर—39

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये 06 सोने चैन**
- **08 हजार रूपये नगद**
- **03 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनॉकः 24.03.2023 को थाना सेक्टर—39 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नयावांस सेक्टर—87 से 03 अभियुक्तों 1—दीपक कुमार 2—रवि 3—नवीन कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 06 सोने के चैन, 08 हजार रूपये नगद, 03 दो पहिया वाहन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त दीपक कुमार के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 30 अभियोग, अभियुक्त रवि के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी आर्म्स एक्ट आदि के लगभग एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर—39 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दीपक कुमार निवासी गली नं0—2 अगर नगर प्रेमनगर किराडी सुलेमान नगर थाना लाम्बा मंदिर नांगलोई, दिल्ली।

2–रवि निवासी धन्ना नगर थाना जहॉगंज जनपद मैनपुरी हालपता– अगर नगर प्रेमनगर किराडी सुलेमान नगर थाना लाम्बा मंदिर नांगलोई, दिल्ली।

3–नवीन कुमार निवासी अगर नगर प्रेमनगर किराडी सुलेमान नगर थाना लाम्बा मंदिर नांगलोई, दिल्ली।

बरामदगी

1–लूटे गये सोने के चैन।

2–08 हजार रूपये नगद।

3–03 दो पहिया वाहन।

जनपद बुलन्दशहर/थाना छतारी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉक:24/25.03.2023 की रात्रि थाना छतारी पुलिस टीम द्वारा काली नदी पुल से चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–मरगूब 2–नदीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त मरगूब के विरूद्ध जनपद मेरठ, बुलन्दशहर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग व अभियुक्त नदीम के विरूद्ध जनपद मेरठ, बुलन्दशहर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना छतारी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मरगूब निवासी ग्राम बहरोडा थाना किठौर जनपद मेरठ।

2–नदीम निवासी ग्राम माछरा थाना किठौर जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—चोरी की 08 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना लंका

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 25.03.2023 को थाना लंका पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1—रंजीत 2—अजय 3—राजेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना लंका पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रंजीत निवासी राजपुर थाना मिर्जामुराद , वाराणसी।

2—अजय निवासी डाफी (बजबजा प्लांट के पास) थाना लंका, वाराणसी।

3—राजेश निवासी डाफी रमना थाना लंका, वाराणसी।

बरामदगी

1—चोरी की 06 मोटर साइकिल।

जनपद हापुड़/थाना हापुड़ नगर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी के 17 हजार रूपये नगद**
- **75 एटीएम कार्ड(विभिन्न बैंको के)**
- **04 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त कार बरामद**

दिनॉकः 24.03.2023 को थाना हापुड़ नगर व साइबर सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बीकानेर स्वीटस के सामने तहसील चौराहा से 04 अभियुक्तों

1–अलाउद्दीन 2–शहजाद 3–मोहम्मद साबिर 4–सलमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के 17 हजार रूपये नगद, 75 एटीएम कार्ड(विभिन्न बैंको के), 04 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त कार बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा भिन्न–भिन्न एटीएम बूथों पर जाकर ग्राहको को अपने बातो में उलझाकर एटीएम कार्ड बदलकर, धोखाधड़ी कर रूपये निकाल लेते थे। गिरफ्तार अभियुक्त अलाउद्दीन के विरूद्ध जनपद अलीगढ़, हापुड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग व अभियुक्त शहजाद के विरूद्ध जनपद अलीगढ़, हापुड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अलाउद्दीन निवासी ग्राम बड़ौदा साहनी थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़ हालपता–बुधनगर कालोनी थाना लोनी, गाजियाबाद।

2–शहजाद निवासी दयालपुर थाना दयालपुर, दिल्ली हालपता–अल्बीनगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

3–मोहम्मद साबिर निवासी ग्राम आहार थाना आहार जनपद बुलन्दशहर हालपता–विक्रम एनक्लेव थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद।

4–सलमान निवासी शालीमार गार्डन थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1–धोखाधड़ी के 17 हजार रूपये नगद।

2–75 एटीएम कार्ड(विभिन्न बैंको के)।

3–04 मोबाइल फोन।

4–घटना में प्रयुक्त कार।

जनपद गाजीपुर/थाना रामपुर मॉझा

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 90 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत)के 900 ग्राम अवैध हेरोइन**
- **माल ब्रिकी के 2600/—रूपये**
- **02 मोबाइल फोन**
- **01 चार पहिया वाहन**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 25.03.2023 को थाना रामपुर मॉझा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बुढऊ बाबा चौराहा ग्राम चकेरी से 03 अभियुक्तों 1—कमलेश 2—अभिषेक 3—चुरामन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 90 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत)के 900 ग्राम अवैध हेरोइन, माल ब्रिकी के 2600/—रूपये, 02 मोबाइल फोन, 01 चार पहिया वाहन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना रामपुर मॉझा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कमलेश निवासी रामपुर भगताने ककरही सैदपुर, गाजीपुर।

2—अभिषेक निवासी चिलार, नन्दगंज जनपद गाजीपुर।

3—चुरामन निवासी बुढिया ड़ाबर चौपारण हजारीबाग, झारखण्ड।

बरामदगी

1—लगभग 90 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत)के 900 ग्राम अवैध हेरोइन।

2—माल ब्रिकी के 2600/—रूपये।

3—02 मोबाइल फोन।

4—01 चार पहिया वाहन।

5—01 मोटर साइकिल।

➢ **जनपद जालौन (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 03 करोड़ 50 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद जालौन पुलिस ने अभियुक्त 1–राजीव कुमार पुत्र रामगोपाल निवासी ग्राम कुचलिया थाना बेवर जनपद मैनपुरी 2–रजनेश कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र निवासी ग्राम महमूदपुरा थाना किशनी जनपद मैनपुरी 3–उमेशपाल पुत्र रावीर सिंह निवासी ग्राम ओगर नगल राजू थाना गभाना जनपद अलीगढ़ द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 03 करोड़ 50 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

एसटीएफः वर्ष 2010 से फरार रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अन्तर्राज्यीय कुख्यात शूटर/लुटेरा राजू अंसारी उर्फ आफताब गिरफ्तार

दिनाक 25–03–2023 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को बृजेश यादव (एस0टी0एफ0 मुठभेड में मृत) गैंग का वर्ष 2010 से फरार चल रहे रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अन्तर्राज्यीय कुख्यात शूटर/लुटेरा राजू अंसारी उर्फ आफताब को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

राजू अंसारी उर्फ आफताब पुत्र मु0 सुल्तान निवासी बगहा रसूलपुर, थाना बाजपट्‌टी, जनपद सीतामढी, (बिहार)

बरामदगीः–

1–मोबाइल फोन–01 अदद।

2–नगद– 110/– रूपया

3–नगद–1031/–नेपाली रूपया

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

बस स्टैण्ड के पास थाना बडहलगंज, जनपद गोरखपुर। दिनांक–25–03–2023।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में निरीक्षक श्री पुनीत परिहार, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, वाराणसी के नेतृत्व में टीम गठित करते हुये अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन हेतु एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई की टीम जनपद गोरखपुर में मौजूद थी कि विश्वस्त सूत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2010 से फरार चल रहा जनपद गोरखपुर का रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी राजू अंसारी उर्फ आफताब जनपद गोरखपुर के थाना बडहलगंज क्षेत्रान्तर्गत बस स्टैण्ड के पास मौजूद है, यदि शीघ्रता की जाय तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी टीम द्वारा मुखबिर के बताये गये स्थान बस स्टैण्ड के पास थाना बडहलगंज, जनपद गोरखपुर पर पहुंचकर राजू अंसारी उर्फ आफताब उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त राजू अंसारी उर्फ आफताब ने पूछताछ में बताया कि राजू अंसारी उर्फ आफताब लुधियाना (पंजाब) में सिलाई का काम करता था। वहॉ पर काम के दौरान इसकी मुलाकात राजू जनपद गोरखपुर, राजेश गुप्ता जनपद आजमगढ, अरमान कस्बा/थाना बेलघाट, जनपद गोरखपुर से हुई थी। राजू की बहन की शादी में ये सभी गोरखपुर आये थे, जहॉ दीपक मिश्रा से इनकी मुलाकात हुई। इसके बाद इन लोगों का सम्पर्क जनपद गोरखपुर के कुख्यात अपराधी बृजेश यादव निवासी बैदौली थाना बहडलगंज, जनपद गोरखपुर (वर्ष 2008 में एस0टी0एफ0 उ0प्र0 के साथ हुई मुठभेड में मृत) से हो गया और यह सभी बृजेश यादव के गैंग से जुड गये। बृजेश यादव ने इन्हें, पैसा, गाडी और असलहा उपलब्ध कराया था। वर्ष 2006 में पुरानी रंजिश के कारण

बृजेश यादव के गांव बैदौली के रहने वाले मारकण्डेय सिंह पर राजू असांरी उर्फ आफताब ने अपने साथियों के साथ मिलकर बम आदि से प्राण घातक हमला किया था, जिसमें मारकण्डेय सिंह बाल–बाल बच गये। इसमें राजू अंसारी उर्फ आफताब गिरफ्तार होकर जेल चला गया। जेल से लगभग 03 माह बाद छूटने के बाद पुनः अपने गैंग के साथियों के साथ मिलकर ताबड़तोड हत्या, लूट आदि की घटनाओं को अंजाम देने लगा। इसी क्रम में वर्ष 2010 में इसके द्वारा अमृतसर (पंजाब) के सर्राफा व्यापारी जसवीर सिंह को बडहलगंज में गोली मारकर लगभग रूपये 5,50,000/–(साढे पॉच लाख रूपये) के सोने–चॉदी के आभूषण की लूट की गयी। जनपद गोरखपुर के थाना चिलुआताल क्षेत्रान्तर्गत पंकज कुमार के सिर में गोली मारकर लाइसेंसी पिस्टल और 02 लाख रूपये की लूट की गयी। जनपद गोरखपुर के थाना शाहपुर क्षेत्रान्तर्गत आकाश दत्त पाण्डेय को गोली मारकर पैसा व मोबाइल फोन लूट लिया गया था। इसी दौरान इसके गैंग का शातिर अपराधी रणविजय यादव जो जेल में बन्द था। इसे पेशी के दौरान छुडाने की योजना इसने अपने साथियों के साथ बनाया और योजना के तहत रणविजय यादव को पेशी के लिये ले जाते समय इसने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर रणविजय यादव को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ा कर भगा ले गया। इस हमले में पेशी ड्यटी में लगे आरक्षी मैनेजर सिंह की मौत हो गयी थी। इस प्रकार इसने गोरखपुर में ताबडतोड घटनाओं के अंजाम देकर सनसनी फैला दिया था और वर्ष 2010 से ही फरार चल रहा था।

राजू अंसारी उर्फ आफताब का आपराधिक इतिहास निम्नवत् है:–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	53/2006	307 भा0द0वि0 व 5 विस्फोटक अधिनियम	बडहलगंज	गोरखपुर
2	81/2006	307 भा0द0वि0	बडहलगंज	गोरखपुर
3	521/2010	307/394 भा0द0वि0	चिलुआताल	गोरखपुर

4	987/2010	392/411 भा0द0वि0	बडहलगंज	गोरखपुर
5	1494/2010	307/392/411 भा0द0वि0	शाहपुर	गोरखपुर
6	2580/2010	302/394 भा0द0वि0	कैण्ट	गोरखपुर
7	01/2011	3(1) गैंगेस्टर एक्ट	बडहलहगंज	गोरखपुर

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त राजू अंसार उर्फ आफताब को मु0अ0सं0 987/2010 धारा 392/411 भादवि थाना बडहलगंज जनपद गोरखपुर में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा किया जा रहा है।

एसटीएफः थाना इन्द्रापुरम, जनपद गाजियाबाद तथा थाना वैलकम दिल्ली की डकैती की घटनाओं में फरार/वांछित शातिर अपराधी राम उर्फ लम्बू उर्फ राजवीर उर्फ देवा एस0टी0एफ0 द्वारा गिरफ्तार।

दिनांकः 25–03–2023 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को जनपद गाजियबाद के थाना इन्द्रापुरम के मु0अ0सं0ः 1718/17 धारा 395/412 भादवि तथा थाना वैलकम, दिल्ली के मु0अ0सं0ः 524/2018 धारा 392/395/34 भादवि के अभियोगों में फरार/वाँछित शातिर अपराधी राम उर्फ लम्बू उर्फ राजवीर उर्फ देवा_को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

राम उर्फ लम्बू उर्फ राजवीर उर्फ देवा पुत्र भारत सिंह निवासी गली नम्बर 04, भूपेन्द्रपुरी, थाना मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद।

गिरफ्तार अभियुक्त से बरामदगी–

1– 01 तमन्चा 315 बोर

2– 02 कारतूस जिन्दा 315 बोर

गिरफ्तारी का दिनांक एवं स्थान/समयः–

दिनांक 25–03–2022 समयः लगभग 00.45 बजे, सीआईएसएफ कट के सामने थाना क्षेत्र इन्द्रापुरम, गाजियाबाद।

विगत काफी दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में फरार अपराधियों के सक्रिय होने की सूचनाऐं प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, गौतमबुद्धनगर के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री सचिन कुमार के नेतृत्व में एस0टी0एफ0, फील्ड इकाई, गौतमबुद्धनगर द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान आज दिनांक 25–03–2023 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, गौतमबुद्धनगर को ज्ञात हुआ कि जनपद गाजियबााद में 02 दर्जन से अधिक लूटपाट की घटनाओं में शामिल रहा अपराधी राम उर्फ लम्बू, जो थाना इन्द्रापुरम तथा थाना वैलकम, दिल्ली की डकैती की घटनाओं में वांछित चल रहा है, आज गाजियाबाद के थाना क्षेत्र इन्द्रापुरम में सी0आई0एस0एफ0 कट के सामने अपने किसी साथी से मिलने के लिए आने वाला है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त एसटीएफ नोएडा टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए गन्तव्य स्थान पर पहुॅचकर आवश्यक बल प्रयोग कर वांछित अपराधी राम उर्फ लम्बू उर्फ राजवीर उर्फ देवा को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त राम उर्फ लम्बू उर्फ राजवीर उर्फ देवा ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 35 साल है और वह कक्षा 08 तक पढा है। वह प्रथम बार वर्ष–2006 में चोरी की घटना में जेल गया था, जेल में इसकी मुलाकात सुरेन्द्र निवासी नन्दग्राम, गाजियाबाद नाम के अपराधी से हुई। जेल से बाहर आने के बाद सुरेन्द्र के साथ गैंग बनाकर लूटपाट करना प्रारम्भ कर दिया। दिनांक 28–11–2017 को उसने अपने साथियों के साथ मिलकर जनपद गाजियाबाद के थाना इन्द्रापुरम निवासी नीरज अग्रवाल के घर में घुसकर हथियारों के बल पर डकैती की घटना कारित की थी, जिसमें वह तभी से फरार चल रहा था। इस घटना के सम्बन्ध में थाना इन्द्रापुरम, गाजियाबाद

पर मु0अ0स0 1778/17 धारा 395/412 भादवि का अभियोग पंजीकृत है। यह भी बताया कि उसने दिनांक 27–12–2018 को अपने साथियों के साथ मिलकर जनपद गाजियाबाद के रहने वाले अमित कुमार की कार का शीषा तोड़कर पिछली सीट पर रखे 03 लाख रूपये से भरे बैग को दिल्ली क्षेत्र में लूट लिये गये थे, इस घटना के सम्बन्ध में थाना वेलकम, दिल्ली पर मु0अ0सं0 524/18 धारा 392/397/34 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ है। इस घटना में भी वह वांछित चल रहा था। इससे पूर्व वर्ष–2012 में पोंन्टा साहिब, हिमाचल प्रदेष में अपने साथियों के साथ मिलकर सोना व्यापारी के साथ लूट की घटना की थी जिसमें करीब 03 किलो सोने के जेवरात लूटे गये थे।

इसके अतिरिक्त गिरफ्तार अभियुक्त राम उर्फ लब्बू उर्फ राजवीर उर्फ देवा द्वारा निम्न घटनाऐं कारित किया जाना प्रकाष में आया है–

1– दिनांक 11–01–2012 को अपने सह अभियुक्तों के साथ थाना पोंटा साहिब, जनपद सिरमोंर, हिमाचल प्रदेष क्षेत्र लूट की घटना कारित की गयी थी। इस घटना के सम्बन्ध में थाना पोंटासाहिब सिरमोर, हिमाचल प्रदेष पर मु0अ0स0 19/2012 धारा 395/323/341/ 342/411/120बी भादवि व 25/54/59 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत है।

2– दिनांक 04–03–2017 को जनपद मेरठ के थाना जॉनी क्षेत्र में सह अभियुक्तों के साथ हथियारों बल पर जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले एक व्यक्ति की गाडी रोककर एवं गोली मारकर लूट की घटना की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जॉनी, मेरठ पर मु0अ0स0 136/2017 धारा 394 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ है।

3– दिनांक 30–03–2016 को सह अभियुक्तों के साथ जनपद मुजफ्फरनगर के थाना मीरापुर क्षेत्र में जनपद मुरादाबाद के व्यापारी की हथियारों के बल पर गाडी रोककर दो लाख रूपये से अधिक की लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना के सम्बन्ध में थाना मीरापुर, मुजफ्फरनगर पर मु0अ0स0 181/16 धारा 394 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ है।

4— इसके अलावा अभियुक्त राम उर्फ लम्बू उर्फ देवा द्वारा जनपद गाजियाबाद के थाना इन्द्रापुरम एवं थाना साहिबाबाद क्षेत्र में महिलाओं से चैन लूट विभिन्न घटनाऐं भी कारित की गयी हैं, जिनके सम्बन्ध में थाना इन्द्रापुरम एवं थाना साहिबाबाद पर कई अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त राम उर्फ लम्बू उर्फ देवा की अन्य अपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त राम उर्फ लम्बू उर्फ राजवीर उर्फ देवा का निम्न आपराधिक इतिहास ज्ञात हुआ हैः—

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
01	305 / 06	379 / 411 भादवि	जीटीबी एन्क्लेव	शाहदरा दिल्ली
02	405 / 06	379 भादवि	वेलकम	नोर्थ ईस्ट दिल्ली
03	555 / 06	37 / 411 / 34 भादवि	प्रीत विहार	ईस्ट दिल्ली
04	19 / 12	395 / 323 / 341 / 342 / 120बी भादवि व आर्म्स एक्ट	पोन्टा साहिब	सिरमोर, हि0प्र0
05	निल / 12	414 भादवि	मोदीनगर	गाजियाबाद
06	263 / 12	392 / 411 भादवि	इन्द्रापुरम	गाजियाबाद
07	276 / 12	392 / 411 भादवि	साहिबाबाद	गजियाबाद
08	299 / 12	307 / 414 भादवि	मोदीनगर	गाजियाबाद
09	300 / 12	392 / 411 भादवि	इन्द्रापुरम	गाजियाबाद
10	300 / 12	25 आर्म्स एक्ट	मोदीनगर	गाजियाबाद
11	317 / 12	392 / 411 भादवि	साहिबाबाद	गाजियाबाद
12	332 / 12	392 / 411 भादवि	साहिबाबाद	गाजियाबाद
13	467 / 12	2 / 3 गैगस्टर एक्ट	मोदीनगर	गाजियाबाद
14	518 / 12	392 / 411 भादवि	इन्द्रापुरम	गाजियाबाद
15	645 / 12	392 / 411 भादवि	इन्द्रापुरम	गाजियाबाद
16	19 / 12	395 / 323 / 341 / 342 / 411 / 120बी भादवि व 25 / 54 / 59 आर्म्स एक्ट	पोन्टा साहिब	सिरमोर, हि0प्र0

17	1655/15	379/511/323 भादवि	कविनगर	गाजियाबाद
18	181/16	395/412 भादवि	मीरापुर	मुजफफरनगर
19	125/17	398/401/147/148/149/307/414/420 भादवि	दौराला	मेरठ
20	127/17	25 आर्म्स एक्ट	दौराला	मेरठ
21	036/17	394 भादवि	जानी	मेरठ
22	1778/17	395/412 भादवि	इन्द्रापुरम	गाजियाबाद
23	2473/18	174ए भादवि	इन्द्रापुरम	गाजियाबाद
24	524/18	392/397/34 भादवि	वेलकम	दिल्ली
25	366/23	3/25 आर्म्स एक्ट	इन्द्रापुरम	गाजियाबाद

गिरफ्तार अभियुक्त राम उर्फ लम्बू उर्फ राजवीर उर्फ देवा उपरोक्त के विरूद्ध थाना इन्द्रापुरम, गाजियाबाद पर मु0अ0सं0: 366/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

——————